न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 15/2018

अपीलांट–
जुसुब पुत्र ईस्माईल जाति तेली निवासी नाईयों की ढाणी (बायतु भीमजी) तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बायतु
2. नबु खां पुत्र ईस्माईल खां के कायम मुकाम–
2.1. मांगे खां पुत्र नबु खां
2.2. पीरू खां पुत्र नबु खां
2.3. तैयब खां पुत्र नबु खां
2.4. ईशाक खां पुत्र नबु खां
2.5. सलीमत पत्नी नबु खां
3. आरब पुत्र ईस्माईल
जाति तेली निवासी नाईयों की ढाणी (बायतु भीमजी) तहसील बायतु जिला बाड़मेर

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 90 दिनांक 14.02.2008 जो अपीलांट व उत्तरदाता सं. 2से3 की संयुक्त खातेदारी भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार बायतु द्वारा पारित किया।

राजस्व अपील सं. 16/2018

अपीलांट–
जुसुब पुत्र ईस्माईल जाति तेली निवासी नाईयों की ढाणी (बायतु भीमजी) तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बायतु
2. नबु खां पुत्र ईस्माईल खां के कायम मुकाम–
2.1. मांगे खां पुत्र नबु खां
2.2. पीरू खां पुत्र नबु खां
2.3. तैयब खां पुत्र नबु खां
2.4. ईशाक खां पुत्र नबु खां

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

2.5. सलीमत पत्नी नबु खां
3. आरब पुत्र ईस्माईल
जाति तेली निवासी नाईयों की ढाणी (बायतु भीमजी) तहसील बायतु जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 89 दिनांक 14.02.2008 जो अपीलांट व उत्तरदाता सं. 2से3 की संयुक्त खातेदारी भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार बायतु द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री मोहनलाल पूनड़, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री पवन सिंघल, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2व3 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 04 / 02 / 2020

1. उपर्युक्त दोनो ही अपीलों में समान विषयवस्तु एवं समान पक्षकार होने से इनका निस्तारण एक ही संयुक्त निर्णय के द्वारा किया जा रहा हैं। निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जा रही हैं। अपीलांट की ओर से यह अपीलें धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बायतु के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 14.02.2008 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा नाईयों की ढाणी (बायतु भीमजी) के खसरा नम्बर 417, 447 / 417 रकबा क्रमशः 30–05, 30–06 बीघा कुल 60–11 बीघा के खातेदारान जुसुब, नबु खां, आरब पि0 ईसमाल मु0 धापू बेवा सुरता कौम तेली सा0 देह ने राजस्व अभियान 2008 के दौरान दिनांक 14.02.2008 को बमुकाम बायतु भीमजी तहसीलदार बायतु के समक्ष दो अलग–अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, प्रार्थना पत्रों के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान सरपंच, ग्राम पंचायत बायतु भीमजी द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी बायतु भीमजी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि पक्षकारान के उक्त इकरारनामे की रिकार्ड के आधार पर जांच की गई। वर्णित भूमि उक्त खातेदारों के नाम सह काश्तकारी मे दर्ज है तथा इस इकरारनामे मे भूमि एवं लगान का विवरण सही किया गया है, इसी माफिक सभी पक्षकार

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

सहमत है। इस पर तहसीलदार सेड़वा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 89 व 90 दिनांक 14.02.2008 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह दोनो अपीलें इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.05.2018 को प्रस्तुत की गई है तथा अपीले प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गए हैं।

3. अपीलांट की अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट सं. 2व3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित तथा रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार बायतु द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन अपीलाधीन पारित करने मे भारी कानूनी तथ्यों की भूल की है। अपीलांट अनपढ़ व निरक्षर होने के कारण उन्होने अपने हस्ताक्षर कर कागजात उत्तरदातागण व हल्का पटवारी को दिये उसके बाद अपीलांट को जानकारी दिये बिना हल्का पटवारी ने उत्तरदाता से मिलकर पक्षकारान के हस्ताक्षरों पर तरमीम नक्शा मुर्तिब किया गया, जिससे उक्त बंटवाड़ा प्रारम्भ से ही दूषित आदेश की श्रेणी मे आता है जो निरस्त योग्य हैं। अपीलाधीन आदेश के द्वारा पक्षकारान के मध्य बाहमी बंटवाड़ा अनुसार विभाजन नहीं किया गया है तथा नक्शा मे ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जा–काश्त मे भारी भिन्नता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त भूमि के विभाजन हेतु सुस्थापित प्रक्रिया से परे जाकर बिना कानूनी तरीके से मौका देखे एवं कब्जा–काश्त की मौका रिपोर्ट लिये ही पक्षपातपूर्ण तरीके से अपीलाधीन आदेश विभाजन स्वीकृति हेतु पारित कर दिया गया हैं। जिसके कारण अपीलांट के ढाणियां व पानी के टांके इत्यादि उत्तरदातागण के कब्जे मे आ गये है तथा अपीलांट के आवागमन हेतु मार्ग भी अवरूद्ध हो गया हैं, ऐसी स्थिति मे अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य हैं। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को जानकारी दिये बिना पारित किया गया हैं जिसकी अपीलांट ने नकलें दिनांक 25.04.2018 को प्राप्त करने पर जानकारी हुई तथा जानकारी होने पर सम्यक तत्परता से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई हैं, फिर भी सद्भाविक रूप से अज्ञानतावश हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु अलग से धारा 5 मयाद

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश हैं। अतः अपीलांट की यह अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें तथा पैतृक आराजी का नये सिरे से पक्षकारान का मौके पर कब्जा–काश्त व बाहमी बंटवाड़ा अनुसार विभाजन किये जाने का आदेश फरमावें।

5. रेस्पोडेंट सं. 2 व 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट व उत्तरदातागण द्वारा उक्त भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करवाया गया परन्तु सहमति बंटवाड़ा में हम पक्षकारान के मौके पर बाहमी बंटवाड़ा व कब्जा–काश्त अनुसार सहमति बंटवाड़ा नहीं हुआ हैं इस कारण इस बंटवाड़े से हम पक्षकारान के मौके पर किये गये बंटवाड़े व कब्जा–काश्त पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा हैं। उक्त विभाजन से नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जा–काश्त मे भारी भिन्नता है, जिसके कारण अपीलांट के ढाणियां व पानी के टांके इत्यादि उत्तरदातागण के कब्जे मे आ गया हैं। इस आधार पर उक्त बंटवाड़ा को निरस्त कर पुनः नये सिरे से मौके पर कब्जा–काश्त अनुसार बंटवाड़ा करने की पूर्ण सहमति हैं।

6. हमने दोनो अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 1से3 की संयुक्त खातेदारी के खेत मौजा नाईयों की ढाणी के विभाजन हेतु तहसीलदार बायतु के समक्ष सहमति विभाजन पत्र दिनांक 14.02.2008 को प्रस्तुत किया गया, जिसे हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर तस्दीक कर रेकर्ड एवं नक्शा मे अमलदरामद हेतु अपीलाधीन आदेश जारी किया गया। अपीलांट के अधिवक्ता का कथन हैं कि उक्त विभाजन के फलस्वरूप मौके पर बाहमी बंटवाड़ा व कब्जा–काश्त मे भिन्नता आ रही है, जिससे अपीलांट की ढाणियां एवं पानी का टांका इत्यादि रेस्पोडेंट के हिस्से मे आ रहा है व अपीलांट के आवागमन हेतु मार्ग अवरूद्ध हो गया हैं। इस आधार पर इस विभाजन को निरस्त कर पुनः नये सिरे से मौका कब्जा–काश्त एवं बाहमी बंटवाड़ा अनुसार बंटवाड़ा कराने हेतु दोनो पक्षकारान सहमत हैं। ऐसे मे उभय पक्षकारान की सहमति के आधार पर तहसीलदार बायतु द्वारा स्वीकृत विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह दोनो ही अपीलें स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार बायतु द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 89

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

व 90 दिनांक 14.02.2008 अपास्त किये जाकर प्रकरण तहसीलदार बायतु को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 04.02.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(राकेश कुमार शर्मा)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)